(4)

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या-7001 /चौतीस-डीएफआरसी/2014-15 दिनांक 10 जून 2015

श्री प्रभात मेहरा,
प्रो0पूल रिट्रीट मजखाली,
तहसील रानीखेत,
जिला अल्मोड़ा।

मै0पूल रिट्रीट मजखाली तहसील रानीखेत जिला अल्मोड़ा के सराय एक्ट अन्तर्गत पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 5-56-2015 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

मै0पूल रिट्रीट मजखाली के सराय अधिनियम अन्तर्गत पंजीकरण हेतु कृपया यथाशीघ्र निम्न अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध करायेः-

1- रिर्सोट/होटल के स्वयं की भूमि पर निर्मित होने का प्रमाण।

2- जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र। *(आवेदक जनपद/राज्य से बाहर का स्थायी निवासी होने की दशा में सम्बन्धित जनपद के जिला अधिकारी द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह पुराना न हो, संलग्न करना अनिवार्य है)*संलग्न नही है।

3- मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र जिसमें निम्नानुसार शपथपूर्वक बयान/घोषणा की गई हैः-

क- रिर्सोट/होटल जिस भूमि पर बना हो वह आवेदक/स्वामी की स्वयं की होने अथवा विधिवत क्रय किये जाने से सम्बन्धित घोषणा।

ख- आवेदक/स्वामी को किसी आपराधिक मामले में सजा न होने,न्यायालय में आपराधिक मामला विचाराधीन तथा अन्वेषण स्तर पर कोई मामला न होने से सम्बन्धित घोषणा।

ग- रिर्सोट/होटल में मानक अनुसार अग्निशमन यन्त्रो की उपलब्धता सम्बन्धी घोषणा।

घ- रिर्सोट/होटल में सफाई एवं ड्रेनेज व्यवस्था मानक के अनुरूप पूर्ण होने तथा होटल में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होने सम्बन्धी घोषणा।

ड- प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से प्रदूषण की रोकथाम हेतु मानक अनुरूप व्यवस्था सम्बन्धी घोषणा।

च- स्थानीय निकाय/जिला पंचायत से अनापत्ति लिये जाने की घोषणा।

कृपया उपरोक्त वांछित अभिलेख यथाशीघ्र इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(प्रकाश चन्द्र)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

प्रतिलिपि निम्नाकिंतो को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत होटल के सराय अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नगत रिर्सोट/होटल के प्रबन्धक के आवेदन किये जाने पर स्थलीय निरीक्षण कर अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर सुस्पष्ट आख्या/अनापत्ति पत्र प्राप्ति के 30 दिन अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

1- पुलिस अधीक्षक,अल्मोड़ा।

2- प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग,अल्मोड़ा।

3- मुख्य चिकित्सा अधिकारी,अल्मोड़ा।

4- उप जिला अधिकारी,रानीखेत

5- मुख्य अग्निशमन अधिकारी,अल्मोड़ा।

6- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी,अल्मोड़ा।

7- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हल्द्वानी।